बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झांसी

कार्यालय आदेश

प्रापक,

श्री वीरेन्द्र वर्मा
पुत्र श्री ओम प्रकाश वर्मा
शिवगंज मऊरानीपुर,झाँसी।

कृषि संस्थान के निदेशक द्वारा अवगत कराया है कि बी.एस.सी. (कृषि) प्रथम वर्ष में नियम विरूद्ध प्रवेश कराने के उद्देश्य से आपके द्वारा अपने आप को कम्प्यूटर एजेन्सी का सदस्य बताते हुये कृषि संस्थान के निदेशक को धमकाते हुये अभद्रता की गई है।

जांचोपरान्त संज्ञान में आया है कि कम्प्यूटर एजेन्सी द्वारा आपको दिनांक 31.10.2017 को कार्यमुक्त किया जा चुका है। परन्तु फिर भी आपके द्वारा विश्वविद्यालय नियम के विरुद्ध कार्य किया गया है। अतः आपका उक्त कृत्य अत्यन्त खेद जनक है एवं इससे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है। आपके इस कृत्य पर माननीय कुलपति जी ने गहन अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये आपका विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश प्रतिबन्धित करने के आदेश प्रदान किये हैं।

अतः माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार आपका विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाता है। उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें।

(डॉ. चतुर्भुजी गुप्त)
कुलसचिव

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झांसी

पत्रांक : बु0वि0/2018/प्रशा./2665-69 दिनांक- /09/2018 01-10-2018

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रो0 आर.के. सैनी, सुरक्षा प्रभारी को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त व्यक्ति का विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित कराने हेतु सम्बन्धित को तत्काल आदेश प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
2. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. डा0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. कुलसचिव के आशुलिपिक।

कुलसचिव